

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/अलेसे-II/ 21071-22000 दिनांक :- 20/10/2015

आदेश संख्या 118/2015-16

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित परिवीक्षाधीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II। (सीधी भर्ती 2011 बैच/2008 बैच) जिन्हें दो वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिए स्थाई पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे वेण्ड 9300-34800 में मूल वेतन 14430/- (10230+4200 ग्रेड पे) एवं तदनुसार भत्ते देय होंगे।

क्र.सं.	मेरिट नम्बर	लिक नम्बर	नाम (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II)	जन्म तिथि	सहा. लेखाधिकारी-II पद पर कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षा काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2/2008	9096	सत्यनारायण बलाई	01.06.1977	21.05.2012	20.05.2014	21.05.2014
2	59/2008	9152	अल्का मीणा	16.08.1988	01.07.2013	30.06.2015	01.07.2015
3	12	3369	मुरारी लाल श्रीमाल	01.07.1970	10.07.2013	09.07.2015	10.07.2015
4	63	9373	राज कुमार	03.03.1974	22.05.2013	21.05.2015	22.05.2015
5	110	9669	जय प्रकाश व्यास	12.10.1972	29.04.2013	28.04.2015	29.04.2015
6	265	9558	विजय पाल सिंह	14.08.1972	19.07.2013	18.07.2015	19.07.2015
7	285	9673	राधेश्याम	16.02.1978	19.07.2013	18.07.2015	19.07.2015
8	322	9608	ओम प्रकाश खिलोटिया	09.04.1979	16.07.2013	15.07.2015	16.07.2015
9	355	9637	सतीशचंद मीणा	21.07.1987	18.03.2013	17.03.2015	18.03.2015
10	366	9647	जय राम मीणा	02.03.1989	10.06.2013	09.06.2015	10.06.2015

सहा.लेखाधिकारी ग्रेड-II। पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है, का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03 (iv) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवानियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश क.लेखाकार एवं लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 2011 के लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों के निर्णय के अध्ययधीन होंगे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/अलेसे-II/ 21071-22000 दिनांक :- 20/10/2015
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
3. कोषाधिकारी
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)